संख्या-822/2018/983/22-2-2018-17(155)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 24 अक्टूबर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी कौशिल्या देवी पत्नी श्री राधे निवासी जनपद-महराजगंज की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-दया0 (बैठक-15-05-2018) दिनांक 14.06.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, महराजगंज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी कौशिल्या देवी पत्नी श्री राधे जो-ग्राम-घुघली बुजुर्ग, थाना- घुघली, जनपद-महराजगंज की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 02.09.2012 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाकर अपनी बहू की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-101/2013 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 506, 302 व 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-4, महराजगंज के आदेश दिनांक 25.08.2014 द्वारा सश्रम आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 06.11.2017 तक 04 वर्ष 08 माह 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 03 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा महिला बन्दी के कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत, सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी कौशिल्या देवी (बन्दी संख्या-266/14) पत्नी श्री राधे निवासी जनपद-महराजगंज की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-822/2018/983(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महराजगंज।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, महराजगंज।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in